

मध्य प्रदेश शासन  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2021

क्रमांक 2530 / 3205 / 2021 / पैंतीस - राज्य शासन एतद्वारा म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कंडिका 20 के निर्देशानुसार विभाग स्तर पर निम्नानुसार शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है :-

1. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हेतु
- (अ) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग - अध्यक्ष  
(ब) अवर सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग - सदस्य  
(स) संचालक, पशुपालन, म.प्र. भोपाल - सदस्य
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हेतु
- (अ) संचालक, पशुपालन विभाग, म.प्र. भोपाल - अध्यक्ष  
(ब) संयुक्त संचालक / उप संचालक, पशुपालन (संभागीय / जिला स्तर सहित) - सदस्य  
(स) शिकायत से संबंधित जिले के उप संचालक, पशुपालन विभाग - सदस्य

संयुक्त संचालक  
(स्था.अ)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2021

क्रमांक 2530 / 3205 / 2021 / पैंतीस

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय, भोपाल ।  
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।  
4. संचालक, पशुपालन विभाग, म.प्र. भोपाल ।  
5. कलेक्टर जिला-समस्त, म.प्र. ।  
6. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मंत्रालय भोपाल ।  
7. समस्त संयुक्त संचालक संभाग .....

8. समस्त उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला ..... म.प्र.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग